रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2005/ज्येष्ठ 4, 1927
No. 137] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2005/JYAISTHA 4, 1927

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 2005

फा. सं. 23/1/2004-आर एंड आर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (55) में केन्द्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड की स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है ।

3. पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ को सम्मिलित करते हुए उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) की एतद्द्वारा स्थापना करती है:-

(i) प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जिसने क्षेत्र में एक विद्युत उत्पादक स्टेशन स्थापित किया है, से एक प्रतिनिधि ।

(ii) क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक पारेषण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iii) क्षेत्र के राज्यों के भीतर लाईसेंस क्षेत्र वाले मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iv) उस प्रत्येक व्यापारिक लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि जिसके पास या तो क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक लाईसेंस है या क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक अन्तर्राज्यीय लाईसेंस है ।

(v) उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र का एक प्रतिनिधि ।

(vi) सदस्य सचिव, उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति- संरक्षक

4. समिति के सदस्य अपने बीचं से ही एक अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए करेंगे जिसके बाद अगले वर्ष के लिये नये चैयरमेन का चुनाव किया जायेगा ।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा ।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:-

1. ग्रिड निष्पादन सुधारने के लिए क्षेत्रीय स्तरीय प्रचालन विश्लेषण आरंभ करना ।
2. विद्युत के अंतर्राज्यीय/अंतरक्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।
3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर राज्यीय/राज्य के भीतर की आयोजना के सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाना
4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्यीय विद्युत उत्पादक कंपनियों समेत क्षेत्र की विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों की विद्युत उत्पादक मशीनों के अनुरक्षण की आयोजना का समन्वय करना और मासिक आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करना ।
5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली को बंद करने की आयोजना करना ।
6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन हेतु सुरक्षा अध्ययन कार्य समेत प्रचालनात्मक आयोजना संबंधी अध्ययन कार्य आरंभ करना ।
7. प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति संबंधी आवश्यकता की समीक्षा करके उपयुक्त वोल्टता बनाये रखने के लिए और अधिष्ठापित कैपेसिटरों की मानीटरिंग के लिए आयोजना करना ।
8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में दक्षता एवं मितव्ययिता से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाना

7. चूकि एनआरएलडीसी समिति के एक सदस्य के रूप में होगा इसलिए क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत का समय निर्धारण एवं प्रेषण के संबंध में आम सहमति से लिये गये समिति के निर्णयों की अनुपालना एनआरएलडीसी द्वारा केन्द्रीय आयोग के दिशा निर्देशों यदि कोई हो की शर्त पर किया जायेगा ।

8. समिति का अपना एक मुख्यालय होगा जिसका प्रधान समिति का सदस्य सचिव होगा । सदस्य सचिव और सचिवालय के अन्य स्टाफ की व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस ढंग से की जाएगी जैसा कि तत्कालीन उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के लिए इनकी व्यवस्था की जा रही थी ।

9. समिति अपनी बैठक करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कामकाज के अपने नियम स्वयं बनायेगी ।

10. समिति कुशल कार्यकरण के लिए अपनी उप-समितियों जैसा भी आवश्यक समझा जाए, का गठन कर सकती है । यदि अपेक्षित हो तो विशेष प्रकृति के मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह/समितियों का भी गठन किया जा सकता है ।

11. समिति एक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक और आवश्यक समझे जाने पर अन्य समय भी बैठकें करेंगी

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May, 2005

F.No. 23/1/2004-R & R.—Sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the Regional Power Committee in the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provision, the Government of India hereby establishes the Northern Regional Power Committee (NRPC) comprising the States of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttaranchal and the Union Territory of Chandigarh with the following as members :

i) A representative of every generating company which has established a generating station in the region.

ii) A representative of every transmission licensee including deemed licensees operating in the region.

iii) A representative of every distribution licensee including deemed licensees whose area of licence falls within the States of the region.

iv) A representative of every trading licensee who has a licence either for any State of the region or an inter-state licence applicable to any State of the region.

v) A representative of Northern Regional Load Dispatch Centre.

vi) Member Secretary, Northern Regional Power Committee - Convenor

4. The members of the Committee shall elect a Chairman from among themselves for a period of one year after which a new Chairman will be elected for next year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

6. The Committee shall discharge following functions:

(1) To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.

(2) To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.

(3) To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

(4) To coordinate planning of maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on annual basis and also to undertake review of maintenance programme on monthly basis.

(5) To undertake planning of outage of transmission system on monthly basis.

(6) To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.

(7) To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.

(8) To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As NRLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by NRLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Northern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its sub-committees as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups/Committees of eminent experts to advise on issues of specific nature.

11. The Committee shall meet at least once in a quarter and at such other time as may be considered necessary.

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 2005

फा. सं. 23/1/2004-आर एंड आर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (55) में केन्द्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड की स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है ।

3. पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को सम्मिलित करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति(एसआरपीसी) की एतद्द्वारा स्थापना करती है:-

(i) प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जिसने क्षेत्र में एक विद्युत उत्पादक स्टेशन स्थापित किया है, से एक प्रतिनिधि ।

(ii) क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक पारेषण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iii) क्षेत्र के राज्यों के भीतर लाईसेंस क्षेत्र वाले मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iv) उस प्रत्येक व्यापारिक लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि जिसके पास या तो क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक लाईसेंस है या क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक अन्तर्राज्यीय लाईसेंस है ।

1596 GI/05-2

(v) दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र का एक प्रतिनिधि ।

(vi) सदस्य सचिव, दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति- संरक्षक

4. समिति के सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए करेंगे जिसके बाद अगले वर्ष के लिये नये चैयरमेन का चुनाव किया जायेगा ।

5. समिति का मुख्यालय बंगलौर में स्थित होगा ।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:-

1. ग्रिड निष्पादन सुधारने के लिए क्षेत्रीय स्तरीय प्रचालन विश्लेषण आरंभ करना ।
2. विद्युत के अंतर्राज्यीय/अंतरक्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।
3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर राज्यीय/राज्य के भीतर की आयोजना के सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाना
4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्यीय विद्युत उत्पादक कंपनियों समेत क्षेत्र की विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों की विद्युत उत्पादक मशीनों के अनुरक्षण की आयोजना का समन्वय करना और मासिक आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करना ।
5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली को बंद करने की आयोजना करना ।
6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन हेतु सुरक्षा अध्ययन कार्य समेत प्रचालनात्मक आयोजना संबंधी अध्ययन कार्य आरंभ करना ।
7. प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति संबंधी आवंश्यकता की समीक्षा करके उपयुक्त वोल्टता बनाये रखने के लिए और अधिष्ठापित कैपेसिटरों की मानीटरिंग के लिए आयोजना करना ।
8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में दक्षता एवं मितव्ययिता से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाना

7. चूकि एनआरएलडीसी समिति के एक सदस्य के रूप में होगा इसलिए क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत का समय निर्धारण एवं प्रेषण के संबंध में आम सहमति से लिये गये समिति के निर्णयों की अनुपालना एसआरएलडीसी द्वारा केन्द्रीय आयोग के दिशा निर्देशों यदि कोई हो की शर्त पर किया जायेगा ।

8. समिति का अपना एक मुख्यालय होगा जिसका प्रधान समिति का सदस्य सचिव होगा । सदस्य सचिव और सचिवालय के अन्य स्टाफ की व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस ढ़ंग से की जाएगी जैसा कि तत्कालीन दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के लिए इनकी व्यवस्था की जा रही थी ।

9. समिति अपनी बैठक करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कामकाज के अपने नियम स्वयं बनायेगी ।

10. समिति कुशल कार्यकरण के लिए अपनी उप-समितियों जैसा भी आवश्यक समझा जाए, का गठन कर सकती है । यदि अपेक्षित हो तो विशेष प्रकृति के मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह/समितियों का भी गठन किया जा सकता है ।

11. समिति एक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक और आवश्यक समझे जाने पर अन्य समय भी बैठकें करेंगी

अजय शंकर, अपर सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May, 2005

F.No. 23/1/2004-R & R.—Sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the Regional Power Committee in the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provision, the Government of India hereby establishes the Southern Regional Power Committee (SRPC) comprising the States of Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry with the following as members:

i) A representative of every generating company which has established a generating station in the region.
ii) A representative of every transmission licensee including deemed licensees operating in the region.
iii) A representative of every distribution licensee including deemed licensees whose area of licence falls within the States of the region.
iv) A representative of every trading licensee who has a licence either for any State of the region or an inter-state licence applicable to any State of the region.
v) A representative of Southern Regional Load Dispatch Centre.
vi) Member Secretary, Southern Regional Power Committee - Convenor

4. The members of the Committee shall elect a Chairman from among themselves for a period of one year after which a new Chairman will be elected for next year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at Bangalore.

6. The Committee shall discharge following functions:

(1) To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
(2) To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
(3) To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.
(4) To coordinate planning of maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on annual basis and also to undertake review of maintenance programme on monthly basis.
(5) To undertake planning of outage of transmission system on monthly basis.
(6) To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
(7) To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
(8) To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As SRLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by SRLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Southern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its sub-committees as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups/Committees of eminent experts to advise on issues of specific nature.

11. The Committee shall meet at least once in a quarter and at such other time as may be considered necessary.

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 2005

फा. सं. 23/1/2004-आर एंड आर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (55) में केन्द्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड की स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिंता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है ।

3. पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और संघ शासित राज्यों और संघ शासित राज्य दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव को सम्मिलित करते हुए पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति (डब्ल्यूआरपीसी) की एतद्द्वारा स्थापना करती है:-

(i) प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जिसने क्षेत्र में एक विद्युत उत्पादक स्टेशन स्थापित किया है, से एक प्रतिनिधि ।

(ii) क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक पारेषण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iii)क्षेत्र के राज्यों के भीतर लाईसेंस क्षेत्र वाले मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iv) उस प्रत्येक व्यापारिक लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि जिसके पास या तो क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक लाईसेंस है या क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक अन्तर्राज्यीय लाईसेंस है ।

(v) पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र का एक प्रतिनिधि ।

(vi) सदस्य सचिव, पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति- संरक्षक

4. समिति के सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए करेंगे जिसके बाद अगले वर्ष के लिये नये चैयरमेन का चुनाव किया जायेगा ।

5. समिति का मुख्यालय मुंबई में स्थित होगा ।

1596 GI/05-3

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:-

1. ग्रिड निष्पादन सुधारने के लिए क्षेत्रीय स्तरीय प्रचालन विश्लेषण आरंभ करना ।
2. विद्युत के अंतर्राज्यीय/अंतरक्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।
3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर राज्यीय/राज्य के भीतर की आयोजना के सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाना
4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्यीय विद्युत उत्पादक कंपनियों समेत क्षेत्र की विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों की विद्युत उत्पादक मशीनों के अनुरक्षण की आयोजना का समन्वय करना और मासिक आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करना ।
5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली को बंद करने की आयोजना करना ।
6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन हेतु सुरक्षा अध्ययन कार्य समेत प्रचालनात्मक आयोजना संबंधी अध्ययन कार्य आरंभ करना ।
7. प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति संबंधी आवश्यकता की समीक्षा करके उपयुक्त वोल्टता बनाये रखने के लिए और अधिष्ठापित कैपेसिटरों की मानीटरिंग के लिए आयोजना करना ।
8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में दक्षता एवं मितव्ययिता से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाना

7. चूकि डब्ल्यूआरएलडीसी समिति के एक सदस्य के रूप में होगा इसलिए क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत का समय निर्धारण एवं प्रेषण के संबंध में आम सहमति से लिये गये समिति के निर्णयों की अनुपालना डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा केन्द्रीय आयोग के दिशा निर्देशों यदि कोई हो की शर्त पर किया जायेगा ।

8. समिति का अपना एक मुख्यालय होगा जिसका प्रधान समिति का सदस्य सचिव होगा । सदस्य सचिव और सचिवालय के अन्य स्टाफ की व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस ढंग से की जाएगी जैसा कि तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के लिए इनकी व्यवस्था की जा रही थी ।

9. समिति अपनी बैठक करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कामकाज के अपने नियम स्वयं बनायेगी ।

10. समिति कुशल कार्यकरण के लिए अपनी उप-समितियों जैसा भी आवश्यक समझा जाए, का गठन कर सकती है । यदि अपेक्षित हो तो विशेष प्रकृति के मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह/समितियों का भी गठन किया जा सकता है ।

11. समिति एक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक और आवश्यक समझे जाने पर अन्य समय भी बैठकें करेंगी

अजय शंकर, अपर सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May, 2005

F.No. 23/1/2004-R & R.—Sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the Regional Power Committee in the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provision, the Government of India hereby establishes the Western Regional Power Committee (WRPC) comprising the States of Chhatisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa and the Union Territories of Dadar Nagar Havaeli and Daman & Diu with the following as members :

i) A representative of every generating company which has established a generating station in the region.
ii) A representative of every transmission licensee including deemed licensees operating in the region.
iii) A representative of every distribution licensee including deemed licensees whose area of licence falls within the States of the region.
iv) A representative of every trading licensee who has a licence either for any State of the region or an inter-state licence applicable to any State of the region.
v) A representative of Western Regional Load Dispatch Centre.
vi) Member Secretary, Western Regional Power Committee - Convenor

4. The members of the Committee shall elect a Chairman from among themselves for a period of one year after which a new Chairman will be elected for next year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at Mumbai.

6. The Committee shall discharge following functions:

(1) To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
(2) To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
(3) To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.
(4) To coordinate planning of maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on annual basis and also to undertake review of maintenance programme on monthly basis.
(5) To undertake planning of outage of transmission system on monthly basis.
(6) To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.

(7) To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.

(8) To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As WRLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by WRLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Western Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its sub-committees as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups/Committees of eminent experts to advise on issues of specific nature.

11. The Committee shall meet at least once in a quarter and at such other time as may be considered necessary.

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 2005

फा. सं. 23/1/2004-आर एंड आर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (55) में केन्द्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड की स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है ।

3. पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों को सम्मिलित करते हुए पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (ईआरपीसी) की एतद्द्वारा स्थापना करती है:-

(i) प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जिसने क्षेत्र में एक विद्युत उत्पादक स्टेशन स्थापित किया है, से एक प्रतिनिधि ।

(ii) क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक पारेषण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iii)क्षेत्र के राज्यों के भीतर लाईसेंस क्षेत्र वाले मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iv) उस प्रत्येक व्यापारिक लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि जिसके पास या तो क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक लाईसेंस है या क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक अन्तर्राज्यीय लाईसेंस है ।

(v) पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र का एक प्रतिनिधि ।

(vi) सदस्य सचिव, पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति- संरक्षक

4. समिति के सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए करेंगे जिसके बाद अगले वर्ष के लिये नये चैयरमेन का चुनाव किया जायेगा ।

5. समिति का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा ।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:-

1. ग्रिड निष्पादन सुधारने के लिए क्षेत्रीय स्तरीय प्रचालन विश्लेषण आरंभ करना ।
2. विद्युत के अंतर्राज्यीय/अंतरक्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।
3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर राज्यीय/राज्य के भीतर की आयोजना के सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाना
4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्यीय विद्युत उत्पादक कंपनियों समेत क्षेत्र की विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों की विद्युत उत्पादक मशीनों के अनुरक्षण की आयोजना का समन्वय करना और मासिक आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करना ।
5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली को बंद करने की आयोजना करना ।
6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन हेतु सुरक्षा अध्ययन कार्य समेत प्रचालनात्मक आयोजना संबंधी अध्ययन कार्य आरंभ करना ।
7. प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति संबंधी आवश्यकता की समीक्षा करके उपयुक्त वोल्टता बनाये रखने के लिए और अधिष्ठापित कैपेसिटरों की मानीटरिंग के लिए आयोजना करना ।
8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में दक्षता एवं मितव्ययिता से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाना

7. चूंकि ईआरएलडीसी समिति के एक सदस्य के रूप में होगा इसलिए क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत का समय निर्धारण एवं प्रेषण के संबंध में आम सहमति से लिये गये समिति के निर्णयों की अनुपालना ईआरएलडीसी द्वारा केन्द्रीय आयोग के दिशा निर्देशों यदि कोई हो की शर्त पर किया जायेगा ।

8. समिति का अपना एक मुख्यालय होगा जिसका प्रधान समिति का सदस्य सचिव होगा । सदस्य सचिव और सचिवालय के अन्य स्टाफ की व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस ढ़ंग से की जाएगी जैसा कि तत्कालीन पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के लिए इनकी व्यवस्था की जा रही थी ।

9. समिति अपनी बैठक करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कामकाज के अपने नियम स्वयं बनायेगी ।

10. समिति कुशल कार्यकरण के लिए अपनी उप-समितियों जैसा भी आवश्यक समझा जाए, का गठन कर सकती है । यदि अपेक्षित हो तो विशेष प्रकृति के मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह/समितियों का भी गठन किया जा सकता है ।

11. समिति एक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक और आवश्यक समझे जाने पर अन्य समय भी बैठकें करेंगी

अजय शंकर, अपर सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May, 2005

F.No. 23/1/2004-R & R.—Sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the Regional Power Committee in the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provision, the Government of India hereby establishes the Eastern Regional Power Committee (ERPC) comprising the States of Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal and Sikkim with the following as members:

i) A representative of every generating company which has established a generating station in the region.

ii) A representative of every transmission licensee including deemed licensees operating in the region.

iii) A representative of every distribution licensee including deemed licensees whose area of licence falls within the States of the region.

iv) A representative of every trading licensee who has a licence either for any State of the region or an inter-state licence applicable to any State of the region.

v) A representative of Eastern Regional Load Dispatch Centre.

vi) Member Secretary, Eastern Regional Power Committee - Convenor

4. The members of the Committee shall elect a Chairman from among themselves for a period of one year after which a new Chairman will be elected for next year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at Kolkata.

6. The Committee shall discharge following functions:

(1) To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.

(2) To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.

(3) To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

(4) To coordinate planning of maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on annual basis and also to undertake review of maintenance programme on monthly basis.

(5) To undertake planning of outage of transmission system on monthly basis.

(6) To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.

(7) To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.

(8) To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As ERLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by ERLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Eastern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its sub-committees as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups/Committees of eminent experts to advise on issues of specific nature.

11. The Committee shall meet at least once in a quarter and at such other time as may be considered necessary.

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 2005

फा. सं. 23/1/2004-आर एंड आर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (55) में केन्द्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29(4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड की स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है ।

3. पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को सम्मिलित करते हुए उत्तरी पूर्वी विद्युत समिति (एनईआरपीसी) की एतद्द्वारा स्थापना करती है:-

(i) प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जिसने क्षेत्र में एक विद्युत उत्पादक स्टेशन स्थापित किया है, से एक प्रतिनिधि ।

(ii) क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक पारेषण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iii) क्षेत्र के राज्यों के भीतर लाईसेंस क्षेत्र वाले मान्य लाईसेंसधारियों समेत प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि ।

(iv) उस प्रत्येक व्यापारिक लाईसेंसधारी का एक प्रतिनिधि जिसके पास या तो क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक लाईसेंस है या क्षेत्र के किसी राज्य के लिए एक अन्तर्राज्यीय लाईसेंस है ।

(v) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र का एक प्रतिनिधि ।

(vi) सदस्य सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति- संरक्षक

4. समिति के सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए करेंगे जिसके बाद अगले वर्ष के लिये नये चैयरमेन का चुनाव किया जायेगा ।

5. समिति का मुख्यालय शिलांग में स्थित होगा ।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:-

1. ग्रिड निष्पादन सुधारने के लिए क्षेत्रीय स्तरीय प्रचालन विश्लेषण आरंभ करना ।
2. विद्युत के अंतर्राज्यीय/अंतरक्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।
3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर राज्यीय/राज्य के भीतर की आयोजना के सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाना
4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्यीय विद्युत उत्पादक कंपनियों समेत क्षेत्र की विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों की विद्युत उत्पादक मशीनों के अनुरक्षण की आयोजना का समन्वय करना और मासिक आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करना ।
5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली को बंद करने की आयोजना करना ।
6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन हेतु सुरक्षा अध्ययन कार्य समेत प्रचालनात्मक आयोजना संबंधी अध्ययन कार्य आरंभ करना ।
7. प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति संबंधी आवश्यकता की समीक्षा करके उपयुक्त वोल्टता बनाये रखने के लिए और अधिष्ठापित कैपेसिटरों की मानीटरिंग के लिए आयोजना करना ।
8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में दक्षता एवं मितव्ययिता से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाना

7. चूकि एनईआरएलडीसी समिति के एक सदस्य के रूप में होगा इसलिए क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत का समय निर्धारण एवं प्रेषण के संबंध में आम सहमति से लिये गये समिति के निर्णयों की अनुपालना एनईआरएलडीसी द्वारा केन्द्रीय आयोग के दिशा निर्देशों यदि कोई हो की शर्त पर किया जायेगा ।

8. समिति का अपना एक मुख्यालय होगा जिसका प्रधान समिति का सदस्य सचिव होगा । सदस्य सचिव और सचिवालय के अन्य स्टाफ की व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस ढंग से की जाएगी जैसा कि तत्कालीन उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के लिए इनकी व्यवस्था की जा रही थी ।

9. समिति अपनी बैठक करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कामकाज के अपने नियम स्वयं बनायेगी ।

1596 GI/05-5

10. समिति कुशल कार्यकरण के लिए अपनी उप-समितियों जैसा भी आवश्यक समझा जाए, का गठन कर सकती है । यदि अपेक्षित हो तो विशेष प्रकृति के मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह/समितियों का भी गठन किया जा सकता है ।

11. समिति एक तिमाही में कम-से-कम एक बैठक और आवश्यक समझे जाने पर अन्य समय भी बैठकें करेंगी

अजय शंकर, अपर सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May, 2005

F.No. 23/1/2004-R & R.—Sub-section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for faciiitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the Regional Power Committee in the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provision, the Government of India hereby establishes the North Eastern Regional Power Committee (NERPC) comprising the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura with the following as members:

i) Representative of every generating company which has established a generating station in the region.
ii) A representative of every transmission licensee including deemed licensees operating in the region.
iii) A representative of every distribution licensee including deemed licensees whose area of licence falls within the States of the region.
iv) A representative of every trading licensee who has a licence either for any State of the region or an inter-state licence applicable to any State of the region.
v) A representative of North Eastern Regional Load Dispatch Centre.
vi) Member Secretary, North Eastern Regional Power Committee - Convenor

4. The members of the Committee shall elect a Chairman from among themselves for a period of one year after which a new Chairman will be elected for next year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at Shillong.

6. The Committee shall discharge following functions:

(1) To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.

(2) To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
(3) To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.
(4) To coordinate planning of maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on annual basis and also to undertake review of maintenance programme on monthly basis.
(5) To undertake planning of outage of transmission system on monthly basis.
(6) To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
(7) To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
(8) To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As NERLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by NERLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile North Eastern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its sub-committees as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups/Committees of eminent experts to advise on issues of specific nature.

11. The Committee shall meet at least once in a quarter and at such other time as may be considered necessary.

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.